

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

हनुमान ताल परिसर में आज होगा पौधा रोपण
3000 पौधे रोपे जायेंगे

रतलाम 13 जुलाई। हनुमान ताल परिसर को हरियाली से आच्छादित कये जाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 14 जुलाई बुधवार को जिले के समस्त अधिकारियों द्वारा प्रातः 09:00 बजे हनुमान ताल परिसर में 3000 पौधों का रोपण किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ स्टॉफ के साथ प्रातः 9 बजे हनुमान ताल पर उपस्थित रहकर पौधा रोपण के कार्य में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेंगे।

तरुण राठौड़ की 6 माह परिवीक्षा अवधि बढ़ाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी

रतलाम 13 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 11 की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के वार्ड में गंदगी व कचरे के ढेर पाये जाने पर वार्ड प्रभारी श्री तरुण राठौड़ की परिवीक्षा अवधि 6 माह बढ़ाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

वार्ड क्रमांक 11 में निरीक्षण के दौरान जगह-जगह गंदगी के ढेर नालियों में गंदगी व सड़कों पर जगह-जगह कचरा फैला पाये जाने पर वार्ड प्रभारी श्री राठौड़ की परिवीक्षा अवधि 6 माह बढ़ाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

रतलाम शहर में बुधवार को टीकाकरण के लिए स्थल निर्धारित
मतदान केंद्रवार होगा टीकाकरण

रतलाम 13 जुलाई। कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में रतलाम शहर में बुधवार 14 जुलाई को टीकाकरण के लिए व भन्न स्थानों का निर्धारण किया गया है। बुधवार को रतलाम शहर में प्रथम डोज के लिए 13 सत्र स्थल निर्धारित किए गए हैं। सर्फ सेकंड डोज के लिए 5 सत्र स्थल निर्धारित है। सर्फ स्लॉट बुकंग के लिए 2 सत्र स्थल निर्धारित किए गए हैं।

बुधवार को रतलाम नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्रवार टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए जिस मतदान केंद्र पर मतदाता का नाम है वह उसी मतदान केंद्र क्रमांक के लिए निर्धारित सेंटर पर पहुंचकर टीका लगवाएंगे। टीकाकरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र अवश्य लाएंगे। टीकाकरण स्थल पर मौजूद बीएलओ द्वारा उनके एपक कार्ड से मलान कर टीकाकरण किया जाएगा।

टीकाकरण मतदान केंद्रवार होगा इस लिए संबंधित व्यक्ति अपने मतदान केंद्र के लिए निर्धारित सेंटर पर ही पहुंचकर टीका लगवाएंगे। सभी वार्ड एवं मतदान केंद्रों के लिए रोटेशन के आधार पर टीकाकरण आगामी दिनों में किया जाएगा इस लिए अन्य वार्ड के या अन्य मतदान केंद्र के व्यक्ति टीकाकरण के लिए अपने मतदान केंद्र के अतिरिक्त अन्य स्थल पर टीकाकरण के लिए नहीं जाएं।

प्रथम डोज के लिए रतलाम शहर में 13 सत्र स्थल निर्धारित

बुधवार को रतलाम शहर में प्रथम डोज के लिए 13 सत्र स्थल निर्धारित किए गए हैं जहां 66 मतदान केंद्रों के निवासियों का टीकाकरण होगा। इनमें वार्ड क्रमांक 1 के 6 मतदान केंद्र के लिए रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा ए वार्ड क्रमांक 4 के 6 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल गुरु रामदास स्कूल ए वार्ड क्रमांक 8 के 10 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल प्रंस पैलेस साक्षी पेट्रोल पंप के पास ए वार्ड क्रमांक 11 के 6 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल बोधी स्कूल डोंगरे नगर ए वार्ड क्रमांक 14 के 5 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल सरस्वती स्कूल काटजू नगर ए वार्ड क्रमांक 17 के तीन

मतदान केंद्रों के लए उत्कृष्ट स्कूल सागोद रोडए वार्ड क्रमांक 21 के तीन मतदान केंद्रों के लए स्थल सरस्वती स्कूल अमृत सागरए वार्ड क्रमांक 27 के 6 मतदान केंद्रों के लए सत्र स्थल जमातखाना शेरानीपुराए वार्ड क्रमांक 28 के 4 मतदान केंद्रों के लए स्थल मांग लक भवन दिलीप नगरए वार्ड क्रमांक 31 के 4 मतदान केंद्रों के लए सत्र स्थल काजीखान मस्जिदए वार्ड क्रमांक 34 के 4 मतदान केंद्रों के लए सत्र स्थल उजाला पैलेसए वार्ड क्रमांक 41 के 3 मतदान केंद्रों के लए माणक चौक स्कूल तथा वार्ड क्रमांक 47 के 5 मतदान केंद्रों के लए सत्र स्थल मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा रहेगा।

सर्फ सेकंड डोज के लए पांच स्थानों पर होगा टीकाकरण बुधवार को सर्फ सेकंड डोज के लए पांच स्थानों पर टीकाकरण कया जाएगा। वार्ड क्रमांक 1 से 10 के नागरिकों के लए कम्युनिटी हॉल अलकापुरीए वार्ड क्रमांक 11 से 20 के निवासियों के लए काश्यप सभागृह सागोद रोडए वार्ड क्रमांक 21 से 30 के मतदाताओं के लए मेहंदीकुई बालाजीए वार्ड क्रमांक 31 से 40 के लए डीआरएम ऑफिस दो बत्ती तथा वार्ड क्रमांक 41 से 49 के निवासियों के लए माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार में टीकाकरण कया जाएगा।

सर्फ स्लॉट बु कंग के लए दो स्थल निर्धारित

बुधवार को संपूर्ण शहर के लए सर्फ स्लाट बु कंग हेतु 2 सत्र स्थल निर्धारित कए गए हैं। यह स्थल हैं आईएमए हॉल राजेंद्र नगर एवं लायंस हॉल पावर हाउस रोड रतलाम । स्लाट बु कंग वाले व्यक्ति इन स्थानों पर पहुंचकर टीकाकरण करवा सकते हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर श वरों का आयोजन

रतलाम 13 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत 'निरामयम' '

योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड प्रतिदिन 4 वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जायेंगे

आयुष्मान कार्ड वार्डवार बनाये जाने के तहत आज 14 जुलाई बुधवार को वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61ए रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान वनोबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुरा वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु श्रीमती ज्योति सुनारिया सहायक आयुक्त नगर पालक निगम रतलाम ए सुश्री अं कता पड्या सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास वभाग ए श्रीमती रश्मि खांबेते कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य वभाग ए श्रीमती आयुषी पालीवाल समग्र सुरक्षा वस्तार अधिकारी नगर पालक निगम रतलाम ए सहयोगी कर्मचारी सर्वश्री सतीश यादव ए हरीश मश्रा ए वासुदेव बैरागी व प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है।

नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उचित मूल्य की दुकानों से परिवार की जानकारी प्राप्त कर आयुष्मान कार्ड बनने से शेष रहे व्यक्तियों के मोबाईल से सूचना देकर केम्प के लिए निर्धारित स्थान पर निर्धारित दिनांक को बुलवाकर हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही संपादित करेंगे साथ ही शेष रहे पात्र हितग्राहियों का घर-घर सर्वे कर कार्ड बनाने की कार्यवाही करेंगे।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है क वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्ड ए खाद्यन्न पात्रता

पर्ची के साथ निर्धारित दिनांको को अपने वार्ड की उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

पथ वक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करें

ऋण हेतु नगर निगम के एनयूएलएम वभाग में संपर्क करें

रतलाम 13 जुलाई । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सद्धी वशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है क नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ वक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राश रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के हाथीखाना स्थित एनयूएलएम कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ वक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ वक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन क्या जा रहा है वजन

13 जुलाई को 76 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 13 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित क्या जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन क्या जाकर जुलवानिया टे^० चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 13 जुलाई मंगलवार को 76 टन कचरा जुलवानिया टे^० चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

13 जुलाई मंगलवार को डम्पर व टेक्टर ट्रॉली से 44670ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 20580ए काम्पेक्टर गीला कचरा 10020 व मैजिक 940 कलो इस तरह कुल 76215 कलो कचरा जुलवानिया टेक् चंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

1068 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा रतलाम 13 जुलाई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों सड़को चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 13 जुलाई तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 1068 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 13 जुलाई को दीनदयाल नगर टाटा नगर बुद्धेश्वर रोड बाजना बस स्टैण्ड आदि क्षेत्रों से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा

रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रुपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

सफाई कार्य में अब दिखने लगा है सुधार

कार्य के फोटो व्हाट्स एप डालने का हुआ असर

रतलाम 13 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर की सफाई व्यवस्था में ओर अधिक सुधार लाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारियों के फ्लेक्स लगाने व कार्य की फोटो व्हाट्स एप डालने से अब प्रातःकाल से साथ-साथ दोपहर पश्चात भी कर्मचारियों द्वारा सफाई का कार्य मुस्तैदी से कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई संरक्षक वार्ड दरोगा एं डोन प्रभारी व स्वास्थ्य अधिकारी के नाम ए मोबाईल नम्बर का फ्लेक्स लगाया गया साथ ही कये गये कार्य के फोटो प्रतिदिन व्हाट्स एप ग्रुप में डालने के निर्देश के तहत सफाई कार्य में सुधार आया है। नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने में नागरिक भी सहयोग करें

ता क स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बन सकें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी एवं वार्ड दरोगा को निर्देशित किया है कि वार्डों में सफाई संरक्षकों द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे कार्यों की फोटो पृथक-पृथक शफ्टों में अनिवार्य रूप से व्हाट्स एप ग्रुप में बनाउंगा रतलाम नम्बर 1 में भेजेंगे फोटो के आधार पर ही संबंधित कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्देशित किया कि वार्डों में कार्यरत सभी सफाई संरक्षकों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शफ्ट में प्रातः 06:30 व 11:00 बजे व द्वितीय शफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे। फोटो के आधार पर स्थल पर जाकर कार्य का अवलोकन किया जाकर इसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जायेगा।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों उपस्थिति दर्ज करने हेतु दोहरी व्यवस्था लागू करते हुए कर्मशाला वभाग के लपक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के बाद झोन प्रभारियों द्वारा भी अलग रजिस्टर संधारण कर प्रातः 6 बजे एवं दोपहर 2 बजे अपने-अपने वार्डों में कचरा संग्रहण वाहन लेकर जायेंगे व हररोज शाम को 5:30 बजे वाहन जमा कराते समय वाहन के कुल राउण्ड की इन्ट्री भी की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी दरोगाओं को निर्देशित किया है कि वार्ड के सफाई कर्मचारियों का बीट (कार्यक्षेत्र) की जनकारी प्रस्तुत करें गलत जानकारी देने पर संबंधित के वरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उद्यान वभाग के मालियों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शफ्ट में प्रातः 06:00 व 11:00 बजे व द्वितीय शफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे जाने के निर्देश निगम आयुक्त

श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि जिस कर्मचारी को जो वार्ड ओर कार्य आवंटित है वहां पर कर्मचारी के नहीं मलने पर सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 13 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों व दुकानदारों व व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्राइवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर व दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्राइवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया क दोनो पालयों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है क वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार ख.सं. व. हेमन्त / 13/07/2021 धन.पा.निगम व रतलाम.